

क्रमांक: एफ.16(41)/एम.ई.(ग्रुप-1)/2018

दिनांक: 3 FEB 2020

परिपत्र

इस विभाग के परिपत्र सं0 एफ.16(41)/एम.ई.(ग्रुप-1)/2018 दिनांक 08 मई 2019 में आंशिक संशोधन करते हुए, निम्नलिखित अनुलग्न इस परिपत्र में जोड़े गए हैं:-

(अ) अस्पतालों के स्तर पर:

- i. ओपीडी की संख्या-माह/वर्ष
- ii. बिस्तर अधियोग दर/ अस्पताल वार
- iii. आईसीयू और आईपीडी के लिए केस फेटेलीटी रेट
- iv. मातृ मृत्युदर/ अस्पताल आधारित
- v. शिशु मृत्युदर/ अस्पताल आधारित
- vi. रोगी की संतुष्टि प्रतिक्रिया-100 मामलों से
- vii. ए.एन.सी. पंजीकरण की संख्या
- viii. आईएचएमएस की प्रगति

(ब) मेडिकल कॉलेज स्तर पर:

- i. कार्यशाला/संगोष्ठी/सम्मेलन/आयोजित की संख्या/वर्ष
- ii. समय-सारणी के अनुसार आयोजित कक्षाओं का प्रतिशत
- iii. प्रकाशित शोध पत्रों की संख्या
- iv. परीक्षाओं में छात्रों का औसत प्रतिशत स्कोर
- v. प्रति कक्षा औसत प्रतिशत उपस्थिति

(स) लम्बित प्रकरण:

- i. वार्षिक रिपोर्ट्स
- ii. विधानसभा प्रश्न
- iii. कोर्ट केसेज
- iv. ऑडिट रिपोर्ट्स
- v. जांच रिपोर्ट्स

वर्टिकल हेल्थ प्रोग्राम्स की प्रगति नेशनल और राज्य स्तरीय योजनाओं/ प्रोग्राम्स जैसे एमएनजेवाई, एमएनडीवाई आदि। मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पतालों में व्यक्तिगत लाभार्थी परक योजनाएं। इसके साथ ही पूर्व में जारी एवं उपर वर्णित परिपत्र में उल्लेखित वर्णित बिंदु यथावत रहेंगे।

  
31.01.20  
(रामानंद शर्मा)  
शासन उप सचिव

क्रमांक: एफ.16(41)/एम.ई.(गुप-1)/2018

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

3 FEB 2020

1. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, विशिष्ट शासन एवं आयुक्त चिकित्सा विभाग, जयपुर।
3. निदेशक, राजमेस, जयपुर।
4. विशेषाधिकारी, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. अतिरिक्त निदेशक प्रशा./अकादमिक, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
6. कुलसचिव, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
8. संयुक्त निदेशक प्लान, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
9. प्रधानाचार्य, समस्त राजकीय/सोसाइटी/आरयूएचएस मेडिकल/दन्त चिकित्सा महाविद्यालय।



(रामानंद शर्मा)

शासन उप सचिव